उप श्रमा० (प्रशासन)

(92)

29/7/13

श्रीराम सिंह

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-3
संख्या- 801 /36-3-2013-79(न्यू0वे0)/07
लखनऊ दिनांक : 25 जुलाई, 2013

अधिसूचना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11, सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 874/36-3-4 (एम0डब्लू0)/93, दिनांक 04, सितम्बर,1995 का अतिक्रमण करके एवं सरकारी गजट में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या 838/36-3-11 दिनांक 22, जुलाई, 2011 के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों एवम् सुझावों पर विचार करने के पश्चात् और उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से कालीन बुनाई के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के अवधि हेतु औसत 181 मूल्य सूचकांक पर न्यूनतम मूल मजदूरी दरें पुनरीक्षित करते हैं :-

क्रम संख्या	शासनादेश वर्ष, 1995 के अनुसार श्रेणियाँ	वर्तमान में संशोधित श्रेणियाँ	न्यूनतम मजदूरी की दरें
1.	अकुशल	अकुशल	रु0 4500 प्रतिमाह
2.	अर्द्धकुशल	अर्द्धकुशल	रु0 5000 प्रतिमाह
3.	कुशल-क	कुशल	रु0 5400 प्रतिमाह
4.	कुशल-ख	कुशल	रु0 5300 प्रतिमाह
5.	कुशल-ग	कुशल	रु0 5200 प्रतिमाह
6.	अतिकुशल	कुशल	रु0 5500 प्रतिमाह
7.	लिपिक-1	कुशल	रु0 5400 प्रतिमाह
8.	लिपिक-2	कुशल	रु0 5100 प्रतिमाह

टिप्पणी- कर्मचारियों की समस्त श्रेणियाँ परिशिष्ट-1 में उल्लिखित है।

क- बुनकर

क्र0	कालीन का विवरण	मजदूरी की न्यूनतम दरें प्रति 6000 गांठों की बिनाई (रुपये में)			
		सादी कालीन	10 रंगों तक वाली कालीन	10 से अधिक रंगों वाली कालीन	15 से अधिक रंगों वाली कालीन
1	2	3	4	5	6
1	प्रति वर्ग गज 30,000 गांठों तक	46.50	51.50	55.50	61.00
2	प्रति वर्ग गज 30,001 गांठों से 60,000 गांठों तक	51.50	55.50	61.00	64.00
3	प्रति वर्ग गज 60,001 गांठों से 1,00,000 गांठों तक	55.50	62.00	64.00	70.00
4	प्रति वर्ग गज 1,00,001 गांठों से 1,40,000 गांठों तक	-	64.00	70.00	76.50
5	प्रति वर्ग गज 1,40,001 गांठों से 1,75,000 गांठों तक	-	70.00	76.50	80.00
6	प्रति वर्ग गज 1,75,001 गांठों से 2,40,000 गांठों तक	-	76.50	80.00	82.00
7	प्रति वर्ग गज 2,40,001 गांठों से 3,15,000 गांठों तक	-	80.00	82.00	87.50
8	प्रति वर्ग गज 3,15,001 गांठों से 4,10,000 गांठों तक	-	82.00	87.50	89.00
9	प्रति वर्ग गज 4,10,001 गांठों से अधिक	-	87.50	89.00	106.00

DLC (प्रशासन)

Ceep 2011 carpet notification hindi

डी0 के0 कंचन
उप श्रमायुक्त, उ0 प्र0
29.7.13

(1091)

टिप्पणी: बुनकर जो ऐसे करघों और जो ऐसे स्थानों पर काम करते हैं जिन्हें नियोजकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है बढ़ी हुई दरों पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान पायेंगे।

ख न्यूनतम मजदूरी के आधार पर कार्य करने वाले क्लीपर दो प्लाई (ग्रेड) से 35 काउन्ट तक बने हुए और तीन प्लाई (ग्रेड) से 60 काउन्ट तक कालीनों की क्लीपिंग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर निम्नलिखित होगी:-

(रुपये में)

1	प्रति वर्ग गज 30,000 गांठों तक	3.25	प्रति वर्ग गज
2	प्रति वर्ग गज 30,001 गांठों से 65,000 गांठों तक	5.50	तदैव
3	प्रति वर्ग गज 65,001 गांठों से 1,00,000 गांठों तक	7.75	तदैव
4	प्रति वर्ग गज 1,00,001 गांठों से 1,30,000 गांठों तक	9.75	तदैव
5	प्रति वर्ग गज 1,30,001 गांठों से 1,70,000 गांठों तक	13.00	तदैव
6	प्रति वर्ग गज 1,70,001 गांठों से 3,00,000 गांठों तक	16.25	तदैव

टिप्पणी: धुली हुई कालीनों के क्लीपिंग के लिए दरें उल्लिखित दरों से 50 प्रतिशत अधिक होंगी।

ग. मात्रानुपाती दर के आधार पर कार्य करने वाले इम्बासर्स हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरें

दो प्लाई (ग्रेड) से 35 काउन्ट तक और तीन प्लाई (ग्रेड) से 60 काउन्टस तक बने हुए कालीनों के लिए मात्रानुपाती दरें निम्नलिखित होंगी:

(रुपये में)

		सरल डिजाइन	मध्यम डिजाइन	कठिन डिजाइन	अतिकठिन डिजाइन
1	प्रति वर्ग गज 35,000 गांठों तक	25.25	38.25	51.50	-
2	प्रति वर्ग गज 35,001 गांठों से 70,000 गांठों तक	38.25	51.50	67.00	88.00
3	प्रति वर्ग गज 70,001 गांठों से 1,00,000 गांठों तक	51.50	67.00	84.00	100.50

टिप्पणी: धुली हुई कालीनों के लिये इम्बासिंग दरें उपरोक्त उल्लिखित दरों से 50 प्रतिशत अधिक होंगी।

घ. मात्रानुपाती दर के आधार पर कार्य करने वाले बाइन्डर/बाइन्डरों के लिये न्यूनतम मजदूरी दरें निम्नलिखित होंगी:

(रुपये में)

1	4 बीसताना से अधिक 5 बीसताना तक की कालीनों के लिये	3.75 प्रति रनिंग फीट
2	5 बीसताना से अधिक 7 बीसताना तक की कालीनों के लिये	4.50 प्रति रनिंग फीट
3	7 बीसताना से अधिक 9 बीसताना तक की कालीनों के लिये	5.00 प्रति रनिंग फीट
4	9 बीसताना से अधिक 11 बीसताना तक की कालीनों के लिये	6.00 प्रति रनिंग फीट
5	11 बीसताना से अधिक कालीनों के लिये	7.25 प्रति रनिंग फीट

ङ. कताई में लगे कर्मकारों के लिये न्यूनतम मात्रानुपाती मजदूरी दर :-

कताई में लगे कर्मचारी के लिए मजदूरी की न्यूनतम मात्रानुपाती दर 25 काउन्ट तक प्रति किलोग्राम ऊन कातने पर मात्र 14.75 रुपये होगी और अतिरिक्त काउन्ट के लिये उसी समानुपात में भुगतान किया जाएगा।

2. <u>परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता</u> :

(क) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 181 औसत अंकों के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई को शत-प्रतिशत निष्प्रभावी करते हुए प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में क्रमशः पिछले वर्ष के जुलाई से दिसम्बर एवम् प्रस्तगत वर्ष के जनवरी से जून माह के औसत सूचकांक आधार पर कालानुपाती दरों पर उपरोक्त अकुशल, अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों को परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

दृष्टान्त :

जनवरी 2011 से जून 2011 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के कल्पित औसत अंक 185 पर अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता प्रतिमाह निम्नलिखित होगा :-

(183 - 181) / 181 X 4500 = रु0 99.44

(ख) कालीन बुनाई के नियोजन में नियोजित पैरा 1 में उल्लिखित मात्रानुपाती श्रमिकों की दरें, प्रति वर्ष 10 प्रतिशत, 01 जनवरी से जो इस अधिसूचना के प्रवर्तन के एक वर्ष के पश्चात से प्रारम्भ होगी, बढ़ जायेगी।

3. मजदूरी की दैनिक दर न्यूनतम मूल दर और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4. घण्टेवार दर दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है तो उसे अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घण्टेवार मजदूरी की दर तद्नुरूप दैनिक दर के छठें भाग से कम न होगी।

6. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और उनका भुगतान उसी प्रकार किया जायेगा मानो उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर के रूप में निर्धारित किया गया है।

7. यदि कोई कार्य मात्रानुपाती दर पर किया/कराया जा रहा है तो ऐसे कार्य के लिए प्रत्याभूत दर निर्धारित कालानुपाती दर होगी।

8. ऊपर विनिश्चित की गई मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 की धारा- 13 की उपधारा(1) के खण्ड(ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9. यदि कोई नियोजक ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम- 1970 के अधीन प्रमाण- पत्र प्राप्त करके या उसके बिना ठेका श्रमिक के माध्यम से नियोजन के किसी कार्य को कराता है तो ऐसा श्रमिक संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का एक्ट- 1947 (संयुक्त प्रान्त एक्ट संख्या 28 सन् 1947) की धारा- 2 के खण्ड(झ) के उपखण्ड(चार) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा- 9 की दृष्टि से नियोजक द्वारा सीधे रखा गया श्रमिक समझा जायेगा और वह उन्हीं दरों पर मजदूरी और जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा जो इस अधिसूचना के पैरा- 1 और पैरा- 2 के अधीन अनुमन्य करायी गयी है।

10. किशोरों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दरें किसी वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट-1

क0स0	शासनादेश, 1995 के अनुसार श्रेणियॉं	वर्तमान में संशोधित श्रेणियॉं	श्रमिकों का वर्गीकरण
1	अकुशल	अकुशल	फिकिंग श्रमिक, ड्राइंग श्रमिक, वाश एण्ड कार्ड स्टाक, अनुसेवक, सफाईकार, यार्न ओपनर, माली, वाकिंग श्रमिक, वियरर, पानी वाला, लाईनमेटर, स्टिचनर, रिपेयरर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।
2	अर्द्धकुशल	अर्द्धकुशल	फायर मैन, झाडू जमादार, पेन्टर ग्रेड-दो, नाटरलूम, जमादार, स्पिनर, मैट या कारपेट मेकर, ग्रेड-दो, प्रधान वाचमैन, लाइनर, ड्रेसर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये
3	कुशल–क	कुशल	डिजायनर,डम्बासर, कुशल रिपेयरर, डार्नर(रफूगर), डायर ग्रेड-एक, मोटर ड्राइवर, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।
4	कुशल–ख	कुशल	बढ़ई, क्लिपर, पेन्टर ग्रेड-एक, सुपरवाइजर, खानसामा, (कुक), और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।
5	कुशल–ग	कुशल	वाइण्डर, रिपेयरर (फाइनिंग बटर), और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2– अर्द्धकुशल	अर्द्धकुशल	फायर मैन, इशू जमादार, पेन्टर ग्रेड–दो, नाटरलूम, जमादार स्पिनर मेट या कार्पेट मेजरर, डायर ग्रेड–दो, प्रधान वाचमैन, लाइनर, ड्रेसर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।
3– कुशल–क	कुशल	डिजायनर, इम्बासर, कुशल रिपेयरर, डार्नर(रफूगर), डायर ग्रेड–एक, मोटर ड्राइवर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।
4– कुशल–ख	कुशल	बढ़ई, क्लिपर, पेन्टर ग्रेड–एक, सुपरवाइजर, खानसामा, और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।
5– कुशल–ग	कुशल	बवाइन्डर, रिपेयरर (फाइरिंग कटर), और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।
6– अति कुशल	कुशल	प्रशिक्षित डाइंग मास्टर, ओरीजनल डिजायनर, प्लेटमेकर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।
7– लिपिक–1	कुशल	प्रधान लिपिक, रोकड़िया, आशुलिपिक, प्रधान मुनीम, लिपिक और स्टोरकीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।
8– लिपिक–2	कुशल	टंकक, सहायक, मुनीम, टाइम कीपर, गैर स्नातक लिपिक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।

(डी0 के0 कंचन)
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर ।

पत्र सं0–2001–04 /प्रवर्तन0–(म0 भत्ता)/13 दिनांक 01/08/ जुलाई, 2013

प्रतिलिपि :–

1. समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करायें।
2. अनुसचिव उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ ।
3. उप श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्तों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार–पत्रों को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।

(डी0 के0 कंचन)
अपर श्रम आयुक्त, उ0 प्र0
कृते श्रमायुक्त, उ0प्र0।

कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकरों हेतु देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1248 के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना स0 801 / 36–3–2013–79(न्यू0वे0) / 07 दिनांक 25.07.2013 के प्रावधानानुसार अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से कालीन के नियोजन में नियोजित (मात्रानुपाती श्रमिकों को छोड़कर) कर्मचारियों हेतु मूल न्यूनतम मजदूरी दरें पुनरीक्षित करते हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) के माह जुलाई, 2010 से दिसम्बर, 2010 के 181 औसत अंको के ऊपर शत–प्रतिशत महगाई को समाहित करते हुए परिवर्तनीय महगाई भत्ता दिया जाना प्राविधानित किया गया है। अतः उक्त के अनुक्रम में माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के 216 औसत अंकों (दो सौ सोलह अंक मात्र) पर दिनांक 25.07.2013 से दिनांक 30.09.2013 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय है :–

दृष्टान्त :– रूपयें 4500.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 216 पर दिनांक 25.07.2013 से दिनांक 30.09.2013 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्न प्रकार देय होगा–

$$\frac{(216-181)}{181} \times 4500 = \text{रू0 870.16 प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है–

क्र0	शासनादेश वर्ष 1996 के अनुसार श्रेणियाँ	वर्तमान में संशोधित श्रेणियाँ	निर्धारित मूल न्यूनतम मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (प्रतिमाह) दि0 25.7.2013 से 30.9.2013 तक
1	2	3	4	5
1	अकुशल	अकुशल	4500.00	870.16
2	अर्द्धकुशल	अर्द्धकुशल	5000.00	966.85
3	कुशल– क	कुशल	5400.00	1044.19
4	कुशल– ख	कुशल	5300.00	1024.56
5	कुशल– ग	कुशल	5200.00	1005.52
6	अतिकुशल	कुशल	5500.00	1063.53
7	लिपिक– 1	कुशल	5400.00	1044.19
8	लिपिक– 2	कुशल	5100.00	986.18

उपरोक्त तालिका में अंकित कार्मिकों की श्रेणियों के अनुसार उनका वर्गीकरण निम्नवत है:–

शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियाँ	वर्तमान में संशोधित श्रेणियाँ	श्रेणियों के अनुसार कार्मिकों का वर्गीकरण
1– अकुशल	अकुशल	पैकिंग श्रमिक, डाईंग श्रमिक, वाच एण्ड वार्ड स्टाफ, अनुसेवक, सफाईकार, बार्न ओपनर, माली, वाशिंग श्रमिक, वियरर, पानी वाला, लाईनसेटर, स्टिचनर, रिपेयरर और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये ।